

भारत में पुलिसि जाँच की एक वश्वसनीय संहति की आवश्यकता

प्रलिमिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), मलमिथ समति, [पुलिस सुधार](#)

मेन्स के लयि:

भारत में पुलिसि व्यवस्था से संबंघति चुनौतियिँ, पुलिसि सुधार पर समतियिँ/आयोग ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल के एक फैसले में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने दोषियिँ (जो अपराध या गलत कार्य के लयि दोषी नहीं पाए गए) को बरी करने संबंघी कानूनों में खामियिँ को नयित्तरति करने हेतु "[सुसंगत और भरोसेमंद जाँच संहति](#)" की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा ।

- न्यायालय ने पुलिसि जाँच में खामियिँ का हवाला देते हुए वर्ष 2013 के अपहरण और हत्या मामले में 3 आरोपियिँ को बरी कर दयिा, जसिके बाद ये टपिपणयिँ आई ।

पुलिसि जाँच के संबंघ में सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिँ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने [आपराधकि न्याय प्रणाली के सुधारों](#) पर न्यायमूर्त वी.एस. मलमिथ समति की वर्ष 2003 की रिपोर्ट का उल्लेख कयिा, जसिमें इस तरक पर ज़ोर दयिा गया था कि "दोषियिँ का सफल अभयिोजन सत्य की गहन और सावधानीपूर्वक खोज एवं साक्ष्योँ के संग्रह पर नरिभर करता है जो स्वीकार्य व संभावति दोनों हैं" ।
- न्यायालय ने वर्ष 2012 में भारत के वधिआयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि दोषसदिधकि की कम दर के कारणों में "[पुलिसि द्वारा अयोग्य, अवैज्जानकि जाँच और पुलिसि एवं अभयिोजन के बीच उचित समन्वय की कमी](#)" शामिल है ।

भारत में सुसंगत और वश्वसनीय पुलिसि जाँच संहति की आवश्यकता:

- पुलिसि जाँच में उन खामियिँ को रोकने के लयि, जसिके कारण तकनीकी आधार पर दोषियिँ को बरी कर दयिा जाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उजागर कयिा है ।
- जाँच और साक्ष्य संग्रह के मानकों में सुधार करने के लयि, जो अक्सर अयोग्य एवं अवैज्जानकि होते हैं, जैसा कि [भारत के वधिआयोग](#) ने बताया है ।
- आपराधकि न्याय प्रणाली की वश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाने के लयि, जो अक्सर [भ्रष्टाचार](#), राजनीतिक हस्तक्षेप एवं [मानवाधिकारों के उल्लंघन](#) से प्रभावति होती है ।
- अपराधियिँ के खिलाफ सफल अभयिोजन सुनिश्चति करने के लयि, वशिषकर हत्या, बलात्कार, आतंकवाद आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में ।
- पीड़ितों, गवाहों और आरोपियिँ के अधिकारों एवं हतियों की रक्षा करने के लयि, जिन्हें अक्सर जाँच प्रक्रयिा के दौरान उत्पीड़न, धमकी तथा ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता है ।

Police Reforms in India



CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)



NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law



RELATED DATA

- Police-People Ratio: 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police /100,000 people)
- Custodial Deaths: 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share: 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure: 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)



IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION



RELATED INITIATIVES

- SMART Policing (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (AMBIS) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System (uses AI and blockchain) (Andhra Pradesh)
- CyberDome (Tech R&D Centre) (Kerala)



CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑ Police Budget, Resources
- ↑ Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑ Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)



Drishti IAS

भारत में पुलिस जाँच के लिये मलमिथ समिति की सफ़ारिशें:

परिचय:

- मलमिथ समिति की स्थापना वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना था। इसने वर्ष 2003 में "आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट" नामक अपनी रिपोर्ट में अपनी सफ़ारिशें प्रस्तुत की।
- समिति की अध्यक्षता करनाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलमिथ ने की।
- समिति की राय थी कि मौजूदा प्रणाली "अभ्युक्तों के पक्ष में है और अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं करती है।"

पुलिस जाँच के लिये सफ़ारिशें:

- पैनल ने जजिज़ासु जाँच प्रणाली के तत्त्वों को शामिल करने का सुझाव दिया जिसका उपयोग फ़्रांस और जर्मनी जैसे देशों में किया जाता है और इसकी नगिरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
- समिति ने जाँच विभाग को **वधि एवं व्यवस्था** से अलग करने का सुझाव दिया।
- इसने जाँच की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग** और **राज्य सुरक्षा आयोगों** की स्थापना की भी सफ़ारिश की।
- इसने कई उपायों का सुझाव दिया, जिसमें **अपराध डेटा की देखरेख** करने के लिये प्रत्येक ज़िले में एक अतिरिक्त SP की नियुक्ति, संगठित अपराध से निपटने के लिये **वशिष्ट दस्तों का संगठन** और अंतर-राज्य या अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जाँच के लिये अधिकारियों की एक टीम के आलावा पोस्टिंग, स्थानांतरण आदि से निपटने के लिये एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करना शामिल है।
- पुलिस हिरासत** को अब 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। समिति ने सुझाव दिया कि **इसे 30 दिनों तक बढ़ा दिया जाए** और **गंभीर अपराधों के मामले में चार्ज शीट दाखल करने के लिये 90 दिनों का अतिरिक्त समय** दिया जाए।

अपराधिक न्याय प्रणाली:

- आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं एवं संस्थानों का समूह है जिसका उद्देश्य सभी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना, मुकदमा चलाना तथा दंडित करना है।
- इसकी चार उपप्रणालियाँ हैं:
 - वधिनमंडल (संसद)
 - प्रवर्तन (पुलिस)
 - न्यायनिरणयन (न्यायालय)
 - सुधार (कारावास, सामुदायिक सुवधियाँ)
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास विभिन्न शासकों के अधीन हुआ है, भारत में आपराधिक कानूनों को ब्रिटिश शासन के दौरान संहिताबद्ध किया गया था, जो आज भी काफी हद तक अपरिवर्तित है। बाद में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के अनुसार वर्ष 1860 में **भारतीय दंड संहिता** (Indian Penal Code- IPC) का मसौदा तैयार किया गया था।
- दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC)** भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और यह 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा वीरपपा मोइली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? (2008)

- पुलिस सुधार
- कर सुधार
- तकनीकी शिक्षा में सुधार
- प्रशासनिक सुधार

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनज़िम) द्वारा पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिपिणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के रूप में एन.एच.आर.सी की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

